आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24.6.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 31/2012–13 एवं 32/2012–13

श्री अच्छे लाल पासवान, पिता–स्व0 जागेश्वर पासवान, सा0–हरीरा, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

श्री बीरेन्द्र सिंह व रमेश प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 अगरू सिंह, सा0–बलचंदा, टोला–बेलवारी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद आवेदक अच्छे लाल पासवान, पिता–स्व0 जुगेश्वर पासवान, सा0–हरीरा, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 27/2010–11 / 113/2012 एवं 20/2011–12 / 111/2012 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरूद्ध विलम्ब का क्षांत करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 07.03.2013 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 09.01.2015 को विलम्ब क्षांत करते हुए विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा विपक्षीगणों को सूचना निर्गत करते हुए इसे दिनांक 14.08.2015 को विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1199/वि0, दिनांक 25.08.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	केवाला सं0/तिथ
बलचंदा अंचल कुर्साकांटा	330	580, 581, 583, 587, 652, 646, 653	11.034 वर्गकड़ी	6818/03.06.2010
गोसनगर	246 247	147, 148, 149, 95, 96 86	10.034 वर्गकड़ी	6818/03.06.210
बलचंदा	330	580, 581, 583, 584, 652, 646, 653	11.034 वर्गकड़ी	7898/13.08.2010

24.6.17

गोसनगर	246 247	147, 148, 149, 95, 96 86	10.034 वर्गकड़ी	7898 / 13.08.2010

विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता अच्छे लाल पासवान द्वारा क्रय की गई दो केवाला के विक्रेता अलग–अलग है। प्रश्नगत भूमि मूल रूप से झड़ी लाल सिंह की थी। विपक्षी विरेन्द्र सिंह ई0 की यह पैतृक सम्पत्ति है। झड़ी लाल सिंह का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :–

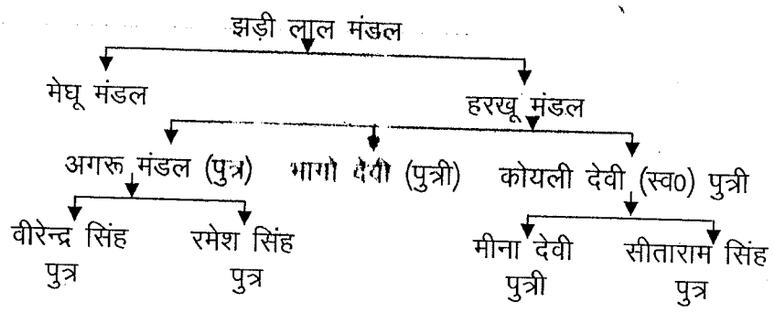

भूधारी झड़ी लाल मंडल की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का सर्वे खतियान मेघु मंडल, पिता–झड़ीलाल मंडल तथा अगरू मंडल, पिता–हरखू मंडल के नाम दर्ज हुआ। मेघु मंडल निशंतान मृत हुए। फलस्वरूप उनकी सम्पत्ति हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् हरखू मंडल को प्राप्त हुआ। जिसके उत्तराधिकारी उनके वारिशान हुए। चूँकि हरखू मंडल के एक मात्र पुत्र अगरू मंडल थे तथा दो पुत्री थी, जिन्हें 1/3 अंश तथा 2/3 अंश भूमि में स्वभाविक रूप से अंश प्राप्त हुआ। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि दो निबंधित दस्तावेज से दस्तावेज सं0 6818, दिनांक 03.06.2010 एवं 7898, दिनांक 13.08.2010 द्वारा सीताराम सिंह एवं मीना देवी जो कोयली देवी के पुत्र एवं पुत्री है, से क्रय कर दखलकार हुए तथा नामान्तरण वाद सं0 797/2010–11 एवं 519/2010–11 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त किये।

इनका यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण के विरूद्ध विपक्षी विरेन्द्र सिंह ई0 द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 27/2010–11 / 113/2012 एवं 20/2010–11 / 111/2012 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा अंचलाधिकारी के नामान्तरण आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि वादग्रस्त भूमि का खतियान अगरू मंडल के नाम दर्ज है, बहन अपना हिस्सा व्यवहार न्यायालय से प्राप्त करें, जो न्यायसंगत एवं विधि सम्मत नहीं है। जिसे रद्द करते हुए नामान्तरण पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दोनों वाद में भूमि का खाता, खेसरा एक हीं है तथा दो मौजा, मौजा–बलचंदा एवं गोसनगर से

संबंधित है। प्रश्नगत भूमि के साथ–साथ अन्य रागी भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान मेघू मंडल, पिता–झड़ी मंडल एवं अगरू मंडल, पिता–हरखू मंडल के नाम ब हिस्सा बराबर दर्ज हुआ। कलान्तर में मेघु मंडल निःसंतान मृत हुये। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् पूरी सम्पत्ति भाई के लड़के अगरू मंडल को प्राप्त हुई। अगरू मंडल भी अपने पिछे दो पुत्र विरेन्द्र सिंह एवं रमेश प्रसाद सिंह को छोड़कर दिनांक 20.01.2010 को मृत हुए। फलस्वरूप अपने पिता एवं दादा की पूरी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी ये दोनों पुत्र हुए। चूँकि हरखू मंडल की मृत्यु पुनरीक्षण सर्वे के बहुत पूर्व हीं हो गया था और उस समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अस्तित्व में नहीं था। फलतः उनके दोनों पुत्रियों भागो देवी एवं कोयली देवी को प्रश्नगत भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ और यही कारण है कि पुनरीक्षण सर्वे खतियान हरखू मंडल के पुत्र अगरू मंडल के नाम प्रकाशित हुआ।

इनका यह भी कहना है कि खतियान के आधार पर पूर्ण भूमि का जमाबंदी खतियानी रैयत मेघू मंडल तथा अगरू मंडल के नाम दर्ज है। विपक्षीगण बतौर अपने पिता एवं चचेरे दादा के कानूनन वारिशान प्रश्नगत भूमि पर दखलकार होते चले आ रहें है ओर लगान भुगतान करते आ रहें हैं। विपक्षीगण दोनों भाईयों के बीच आपसी बँटवारा के पश्चात् विधिवत नामान्तरण वाद सं0 797/2010–11 द्वारा दाखिल खारिज कराकर दोनों मौजा का पृथक–पृथक जमाबंदी सं0 1317, 883, 1318 एवं 884 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं और प्रश्नगत भूमि पर वंशानुगत रूप से दखलकार होते चले आ रहें हैं। जिसकी पुष्टि धारा 107 द0प्र0सं0 के तहत स्थानीय थाना द्वारा दिनांक 09.12.2011 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन जिसके प्रथम पक्ष का दखल कब्जा न होना एवं विपक्षीगणों की दखल की पुष्टि की गई है, से भी होता है। साथ हीं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के न्यायालय के वाद सं0 243M/2011 धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत पारित आदेश दिनांक 01.08.2011 से भी पुष्टि होती है।

इनका यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि उनकी फुआ कोयली देवी के पुत्री मीना देवी एवं पुत्र सीता राम सिंह से निबंधित दस्तावेज सं0 6818, दिनांक 03.06.2010 एवं 7898, दिनांक 13.08.2010 द्वारा हिस्से के अनुसार क्रय किया है। जबकि वादग्रस्त भूमि का खतियान अगरू मंडल के नाम प्रकाशित है। मेघु मंडल निःसंतान मृत है तथा अगरू मंडल के मात्र विपक्षीगणों दोनों भाई उत्तराधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खतियान प्रकाशन के पश्चात् कोयली देवी को और न ही उनके वारिशानों को वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त है। जहाँ तक कोयली देवी के वारिशानों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना हिस्सा का दावा करते है तो उन्हें खतियान की प्रविष्टि के विरूद्ध सक्षम न्यायालय से हिस्सा प्राप्त कर ही भूमि की बिक्री की जानी चाहिए थी। बिना हिस्सा एवं स्वत्व के निष्पादित केवाला की कोई मान्यता नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया

द्वारा भी अपील वादों में विपक्षीगणों का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा की सम्पुष्टि की गई है और नामान्तरण प्रक्रिया स्वत्व के साथ–साथ दखल का होना मुख्य आधार है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का नामान्तरण अपील वाद सं0 20/2010–11 / 111/2012 एवं 27/2010–11 / 113/2012 में दिनांक 22.11.2012 का पारित आदेश विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण है, जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के दोनों पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के पारित आदेश तथा संलग्न साक्ष्यों के गहन परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का पुनरीक्षण सर्वे खतियान मेघू मंडल एवं अगरू मंडल के नाम ब हिस्सा बराबर दर्ज है। मेघू मंडल निःसंतान मृत है तथा अगरू मंडल को मात्र दो पुत्र विपक्षीगण उत्तराधिकारी है और मेघू मंडल की हिस्से की भूमि उत्तराधिकारी के रूप में विपक्षीगणों को प्राप्त है, जिसका आपसी बँटवारा उपरांत विधिवत नामान्तरण वाद सं0 797/2010–11 द्वारा नामान्तरण कराकर पृथक–पृथक जमाबंदी दर्ज कराकर लगान भुगतान कर वादग्रस्त भूमि पर दखलकार है।

पुनरीक्षणकर्त्ता खतियानी रैयत के बहन कोयली देवी के वारिशानों से वादग्रस्त भूमि दो निबंधित दस्तावेज से क्रमशः 6818, दिनांक 03.06.2010 एवं 7898, दिनांक 13.08.2010 द्वारा क्रय किया गया है, जिसका नामान्तरण वाद सं0 519/2010–11 द्वारा कराई गई। जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 20/2010–11 / 111/2012 दाखिल किया गया तथा विपक्षीगण के नामान्तरण वाद सं0 797/2010–11 के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 27/2010–11 / 113/2012 विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दाखिल किया गया। जहाँ पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्रश्नगत भूमि बिना स्वत्व के बिक्री एवं पुनरीक्षणकर्त्ता का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नहीं पाते हुए दिनांक 22.11.2012 को पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण वाद सं0 519/2010–11 में अंचलाधिकारी के पारित आदेश को निरस्त करते हुए विपक्षीगणों के नामान्तरण वाद सं0 797/2010–11 में विज्ञ अंचलाधिकारी के पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है जो वैद्य है। जहाँ तक वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं दखल कब्जा का प्रश्न है तो धारा 107 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, कुर्साकांटा के पुलिस प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगणों का दखल–कब्जा कायम है, जो नामान्तरण प्रक्रिया का मुख्य आधार है। साथ ही स्वत्व के निर्धारण हेतु विक्रेता को सक्षम न्यायालय में हिस्सा प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जिसे साबित करने में पुनरीक्षणकर्त्ता असफल रहें हैं।

अतः नामान्तरण अपील वाद सं0 20/2010–11 / 111/2012 एवं

27/2010–11 / 113/2012 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 22.11.2012 को वैध एवं न्यायोचित पाते हुए उसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अररिया/अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 82 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 24 / 06 /2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं0 20/2010–11 / 111/2012 (बिरेन्द्र सिंह बनाम अच्छे लाल पासवान) मूल के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24.6.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24.6.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 88/2015–16

भूमि ऋषिदेव, पिता–स्व0 झाड़ी ऋषिदेव, सा0–कोशकापुर बैरख, थाना+पो0–रानीगंज, जिला–अररिया

बनाम

धमेश्वर राम, पिता–सिंहेश्वर राम, सा0–कोशकापुर बैरख, थाना+पो0–रानीगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, रानीगंज के पत्रांक 244, दिनांक 20.02.2013 द्वारा निम्न विवरण की भूमि का दर्ज दो–दो जमाबंदी में से एक को रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 19/2011–12 अंचल–रानीगंज संधारित कर अपनी अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
कोशकापुर थाना नं0 148 अंचल–रानीगंज	722	4363 4360 4350	1.30 ए0 0.65 ए0 0.45 ए0 **2.40 ए0**	271

उभय पक्षों को सूचना निर्गत की गई। उभय पक्षों की ओर से अपने–अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज शिवलाल ऋषि, पिता–ननकू ऋषि जो उनके दादा थे को भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा प्राप्त है, जिसका नामान्तरण कैम्प कोर्ट सं0 444/2006–07 के द्वारा होकर जमाबंदी सं0 2227 दर्ज था। उनके मृत्युपरांत प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी आवेदक के नाम से चल रही है तथा लगान वर्ष 2011–12 तक उनके द्वारा भुगतान किया गया है। इसी जमीन का जमाबंदी सं0 271 नामान्तरण वाद सं0 505/70–71 द्वारा धर्मेश्वर राम, पिता–सिंहेश्वर राम, सा0–बैरख के नाम चल रहा है। जिसे धर्मेश्वर राम एवं अन्य के द्वारा पार्वती देवी, पति–वैधनाथ यादव को बिक्री कर दी गई है। साथ हीं एक ही जमीन का दो–दो जमाबंदी दर्ज होने के फलस्वरूप जमीन पर विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः धर्मेश्वर राम के नाम दर्ज जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी धर्मेश्वर राम के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत वाद निर्वाहन योग्य नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत भूमि विपक्षी द्वारा विक्रेता रामचन्द्र पूर्वे ई0 से बजरिये निबंधित केवला सं0 1580, दिनांक 23.03.1968 द्वारा क्रय कर दखलकार हुए तथा अंचल कार्यालय, रानीगंज से नामान्तरण वाद सं0 506/1970–71 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी दर्ज कराया एवं लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें हैं। जब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि प्रश्नगत भूमि शिवलाल ऋषिदेव के नाम से शिकमी खाता सं0 300 दर्ज है, तो शिकमीदार के वारिशानों, रामजी ऋषिदेव, पिता–शिवलाल ऋषिदेव, भूमि ऋषिदेव उर्फ युगेन्द्र ऋषिदेव वो लखन ऋषिदेव, पिता–स्व0 झाड़ी ऋषिदेव, जगदेव ऋषिदेव, किसुन ऋषिदेव, पिता–स्व0 वन्दे ऋषिदेव से उसने पुत्र गंगा प्रसाद साह ई0 के नाम से निबंधित केवाला सं0 4843, दिनांक 12.05.1980, 2384, दिनांक 05.02.1981 द्वारा शिकमी हक हस्तांतरित करा लिया गया, इस प्रकार उनके द्वारा शिकमी एवं कायमी दोनों हक प्राप्त कर लिया गया।

इनका यह भी कहना है कि आवेदक भूमि ऋषिदेव को जो पट्टा (पर्चा) भूदान कार्यालय से प्राप्त हुआ है, उसमें खाता दर्ज नहीं हैं, सिर्फ खेसरा 4200/2258 रकवा 1.00 एकड़ का प्राप्त है, जिसका सम्पुष्टि सं0 1686, दिनांक 17.4.1958 दर्ज है। जो शिवलाल ऋषिदेव, पिता–नन्कू ऋषिदेव के नाम निर्गत है। परन्तु आवेदक द्वारा अपने भूदान पर्चा पर कटिंग (Overwrite) कर कैम्प कोर्ट में नामान्तरण करा लिया गया है, जबकि भूदान का निर्गत पर्चा में आवेदक का दावित भूमि नहीं है। इस तरह खेसरा सं0 4363 एवं 4360 पर आवेदक का दावा गलत है। इस खेसरा के अतिरिक्त अन्य खाता, खेसरा कुल रकवा 4.53 एकड़ की जमाबंदी सं0 2719 विपक्षी धनेश्वर राम के नाम से वर्ष 1970–71 में नामान्तरण वाद सं0 505/1970–71 द्वारा दर्ज है, जिसपर वे शांतिपूर्ण दखल काबिज हैं। उन्होंने निबंधित दस्तावेज सं0 9863, दिनांक 22.11.2011 द्वारा प्रश्नगत खाता 722, खेसरा सं0 4360, रकवा 0.49 डी0 एवं खेसरा सं0 4363 रकवा 0.34 डी0, कुल 83 डी0 भूमि पार्वती देवी, पति–बैधनाथ यादव को बिक्री कर दी। तबसे यह विवाद उत्पन्न हुआ है। शिवलाल ऋषि के नाम निर्गत भूदान पर्चा का सत्यापन भूदान कार्यालय से करा लेने का अनुरोध करते हुए आवेदक के दावे के साथ–साथ इस वाद को खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन, संलग्न साक्ष्यों तथा कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, अररिया के पत्रांक 72, दिनांक 26.7.2016 द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक भूमि ऋषिदेव के पूर्वजों शिवलाल ऋषि, पिता–ननकू ऋषि को मौजा–कोशकापुर के अन्तर्गत खाता शून्य, खेसरा 4200/2258, रकवा 1.00 ए0 भूदान प्रमाण पत्र सं0 83427, दिनांक 20.7.1957 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसका सम्पुष्टि वाद सं0 1686, दिनांक 17.4.1968 है, जिसके भूदाता देवानंद पूर्वे, ग्राम–कालाबलुआ है। जिसमें

24.6.17

Overwriting कर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि अंकित करते हुए अंचल कार्यालय, रानीगंज के कैम्प कोर्ट नामान्तरण वाद सं0 444/2006–07 द्वारा जमाबंदी सं0 2227 दर्ज करा कर वर्ष 2011–12 तक लगान रसीद प्राप्त कर लिया गया है। जबकि प्रश्नगत भूमि रामचन्द्र पूर्वे, सरयुग पूर्वे व जर्नादन पूर्वे द्वारा विपक्षी को बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 1584, दिनांक 23.03.1968 द्वारा बिक्री कर दी गई है। जिसका दाखिल खारिज उनके पक्ष में नामान्तरण वाद सं0 506/1970–71 द्वारा होकर जमाबंदी सं0 271 दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का सिकमी खतियान आवेदक के पूर्वजों के नाम से सिकमी खाता 300 दर्ज होने के फलस्वरूप उन सभी के वारिशानों जिसमें आवेदक भी शामिल है के द्वारा अपना सिकमी हक भी धमेश्वर राम के पुत्रों को वर्ष 1980–81 में बिक्री कर दी गई है। आवेदक भूमि ऋषि द्वारा अपने दादा शिवलाल ऋषि के नाम निर्गत भूदान पर्चा में Overwriting कर प्रश्नगत खेसरा 4363, 4360, 4350, कुल रकवा 2.40 एकड़ दर्ज का वर्ष 2006–07 के कैम्प कोर्ट नामान्तरण वाद सं0 444/2006–07 द्वारा अपने नाम जमाबंदी सं0 2227 दर्ज करा ली गई। जिसके संबंध में अंचलाधिकारी, रानीगंज द्वारा भी प्रतिवेदित है कि कार्यालय में उपलब्ध पंजी के अनुसार कैम्प कोर्ट वाद सं0 444/2006–07 की सम्पुष्टि नहीं होती है। भूदान मंत्री के सत्यापन प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि आवेदक के पूर्वज को मात्र खेसरा सं0 420/2258 से रकवा 1.00 ए0 भूमि का भूदान पर्चा निर्गत है। जिसका सम्पुष्टि वाद सं0 1686/17.4.1968 दर्ज है, जो विपक्षी के भूमि से सर्वथा भिन्न है। साथ ही प्रश्नगत भूमि का दो–दो जमाबंदी दर्ज होना अवैध है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी पूर्व से धर्मेश्वर राम के नाम नामान्तरण वाद सं0 506/1970–71 द्वारा जमाबंदी सं0 271 पर कायम है, जो सही है।

अतः आवेदक के नाम दर्ज प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी सं0 2227 को अवैध पाते हुए बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9(1) के तहत रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, रानीगंज को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 89 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 27 / 06 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को जमाबंदी सुधार विविध वाद सं0 19/11–12 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.6.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24.6.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

भूहदबंदी [धारा 16(3)] अपील वाद सं0 – 15/2006–07

मो0 सुलेमान, पिता–स्व0 बौकाई मियाँ, सा0–कुर्साकांटा, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – अपीलकर्त्ता

बनाम

1. मो0 असीरूद्दीन, पिता–स्व0 मो0 मुद्दीन, ग्राम–कुर्साकांटा, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – विपक्षी प्रथम पक्ष
2. बीबी खातुन, पति–स्व0 समद मियाँ
3. बीबी हुस्न आरा, पति–म0 नजामुद्दीन
4. बीबी रेहाना खातुन, पति–म0 नईमुद्दीन
5. बीबी सबाना खातुन, पति–म0 इरसाद अहमद
6. मो0 मोहसीन, पिता–स्व0 समद मियाँ
7. मो0 हासिम, पिता–स्व0 समद मियाँ
8. अफसाना खातुन (नाबालिग), पिता–म0 समद मियाँ, अभिभावक माता–बीबी खातुन सभी सा0–कुर्साकांटा, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – विपक्षी द्वितीय पक्ष
9. स्टेट ऑफ बिहार – विपक्षी तृतीय पक्ष

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 सुलेमान, पिता–स्व0 बौकाई मियाँ, सा0–कुर्साकांटा, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 29/2005–06 अंदर धारा 16(3) भूहदबंदी अधिनियम में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 28.9.2006 के विरूद्ध यह अपील वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 16.11.2006 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 7.4.2015 को विलम्ब को क्षांत करते हुए विचारार्थ स्वीकृत किया गया एवं विधिवत निष्पादन हेतु अपने आदेश दिनांक 11.8.2015 द्वारा इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1197/वि0, दिनांक 25.8.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
कुर्साकांटा	72/2	342	1501	0.04 ए0	उ0–खेसरा 1502 वो सुलेमान ई0 द0–बिहार सरकार पू0–नीजवाया प0–फरीक सुलेमान

कुर्साकांटा	72/2	904	1806	0.04 ए0	उ0–राम प्रसाद द0–विरोधी पू0–राजेन्द्र प0–सफीउद्दीन

समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई तथा प्रतिउत्तर भी दाखिल किया जा चुका है। हस्तांतरण उपरांत अभिलेख को सुनवाई हेतु निर्धारित की गई। द्वितीय पक्ष की सुनवाई दिनांक 18.12.2015 को की जा चुकी थी। किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा अपना पक्ष कई तिथियों के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया। ततपश्चात् अभिलेख को आदेशार्थ निमित किया गया।

अपील अर्जी के अनुसार प्रथम पक्ष का दावा है कि वादग्रस्त भूमि के वे कोशेयर्रर एवं समीपी रैयत है तथा भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के अन्तर्गत उन्हें अग्रक्रय का दावा है। विपक्षी न तो कोशेयर्रर है और न हीं समीपी रैयत है। विपक्षी का दावा है कि वे भूमिहीन है और वसोवास के लिये मात्र प्रश्नगत भूमि क्रय किया गया है। जबकि उनके केवाला में वसोवास को कोई उल्लेख नहीं है। अपीलकर्त्ता खाता सं0 342, खेसरा सं0 1501 के साथ–साथ खेसरा सं0 1806 के भी समीपवर्त्ती रैयत है। खाता सं0 904, खेसरा सं0 1806 की भूमि सर्वे में मो0 इब्राहीम के नाम दर्ज थी। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र मो0 इलियास, मो0 हबीबुल, मो0 मोजीबुर्रहमान, मो0 हुसैन से खेसरा सं0 1806, रकवा 10 डी0 भूमि उन्हें मौखिक दान में प्राप्त है। मो0 इलियास द्वारा दिनांक 15.3.1999 को उनके पक्ष में एकरारनामा भी निष्पादित किया है। साथ ही अपने अपील अर्जी में उल्लेखित किया है कि विपक्षी भूमिहीन नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि के अलावा उनके पास खेसरा सं0 1691, 1692, 1693 एवं 1694 के साथ कुल रकवा 4.00 एकड़ भूमि है तथा इनके पास पक्का का मकान एवं काफी धनी व्यक्ति है। जिसपर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का अपील पोषनीय नहीं है। क्योंकि वे भूमिहीन है और वादग्रस्त भूमि वसोवास के लिये क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई भूमि नहीं है। अतएव प्रथम पक्ष का अग्रक्रय का अधिकार नहीं बनता है। अपीलकर्त्ता क्रय भूमि के समीपी रैयत नहीं है और न हीं कोंसेयर्रर है। आवासीय भूमि एवं भूमिहीन की जमीन पर धारा 16(3) निर्वाहन योग्य नहीं है। जिसके संबंध में C.W.J.C. No. 2/1984 के पारित आदेश तथा P.L.J.R. 1997 Page No. 2352 में कई नियमन पारित है। साथ ही क्रय भूमि के दोनों खेसरा के लिये समीपी रैयत होना आवश्यक है। मात्र एक खेसरा के समीपी रैयत होने से उन्हें अग्रक्रय का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही विपक्षी विकलांग व्यक्ति भी है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पारित आदेश दिनांक 28.9.2006 वैद्य, नियमानुकूल तथा सम्पुष्ट होने लायक है। जिसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के एक मात्र खेसरा सं0 1501 के कोशेयर्रर है। जिसे विपक्षी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। खेसरा सं0 1806 के समीपी रैयत या कोसेयरर प्रमाणित करने में आवेदक असफल रहे हैं। विपक्षी के भूमिहीन होने नहीं होने का कोई साक्ष्य इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित हो सके कि विपक्षी भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। जबकि विपक्षी का दावा है कि उनके द्वारा मात्र 8 डी0 वादग्रस्त भूमि वसोवास के लिये क्रय की गई है। इसके आलावा उनके पास अन्य कोई भूमि नहीं है।

अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 28.9.2006 को विधि सम्मत एवं वैद्य पाते हुए उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह0 —
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 83 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 24 / 06 /2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को भूहदबंदी धारा 16(3) अभिलेख सं0 29/2005–06 (सुलेमान मियाँ बनाम मो0 असीरूद्दीन) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : अभिलेख सं0 29/2005-06 मूल में।

24.6.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24.6.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 225/2016–17

बिनोद कुमार राय, पिता–स्व0 गुलाब चन्द राय, सा0–आश्रम रोड, बसंतपुर, थाना–अररिया, जिला–अररिया – प्रथम पक्ष

बनाम

मो0 तबारक वो हमीद वो तजमूल वो हजामूल वो एहसान, पिता–अलाउद्दीन, सा0–बसंतपुर, थाना–अररिया, जिला–अररिया – द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक 3385, दिनांक 15.10.2016 द्वारा निम्न विवरण की जमीन का अवैध रूप से दर्ज जमाबंदी सं0 8241 को रद्द करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ अभिलेख सं0 03/2016–17 प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में इस वाद को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के तहत प्रविष्ट करते हुए संबंधित पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
बसंतपुर अंचल–अररिया	206	2438	9790	0.03½ ए0	8241

पक्षकारों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों को सुना गया।

प्रथम पक्ष का कहना है कि भूधारी श्यामसुन्दर प्रसाद, पिता–युगल किशोर प्रसाद, वार्ड नं0 7, बसंतपुर को प्राप्त प्रश्नगत भूमि रकवा 13½ डी0 में से इसामुल वो तबारक ई0 द्वितीय पक्ष को बजरिये निबंधित दो डीड सं0 5760, दिनांक 22.7.1992 एवं 5761, दिनांक 22.7.1992 द्वारा रकवा 03½ डी0 + 03½ डी0 कुल रकवा 7 डी0 भूमि विक्रय किया गया। दोनों केवाला की चौहद्दी एक हीं है। द्वितीय पक्ष द्वारा नगर पालिका अमीन से प्रश्नगत भूमि की नापी कराई गई, जिसके नापी प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि विक्रय भूमि केवाला दिनांक 7.5.1992 श्री नरसिंह पाण्डे से प्राप्त है, जिसका रकवा 3 डी0 है, जिसकी चौहद्दी उत्तर–निजवाया, दक्षिण–गोपीनाथ पाण्डे, पूरब–वसीकुर्रहमान,

24.6.17

पश्चिम–खेसरा सं0 149 है। दूसरा केवाला दिनांक 22.6.1992 को रकवा 3½ डी0 व तीसरा केवाला दिनांक 22.6.1992 को ही 3½ डी0 का प्राप्त है। दोनों केवाला का एक ही चौहद्दी है। सरजमीन में बची हुई कुल रकवा 2 डी0 704 वर्गकड़ी है, जो विपक्षीगणों दखल में है। 701 वर्गकड़ी जमीन रास्ता में छोड़ा है। इस प्रकार सरजमीन का कुल रकवा 6 डी0 400 वर्गकड़ी विपक्षीगण के दखल में है। सूचना अधिकार के तहत आवेदक द्वारा अंचलाधिकारी, अररिया से विपक्षी के दर्ज जमाबंदी की प्रति प्राप्त की गई, जिसके अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि पंजी–II में सिर्फ 03½ डी0 भूमि ही दर्ज है।

इनका यह भी कहना है कि आवेदक के आवेदन के आलोक में श्रीमान् के कार्यालय पत्रांक 2269/रा0, दिनांक 29.9.2016 द्वारा अंचलाधिकारी, अररिया से सम्पूर्ण प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके प्राप्त प्रतिवेदन में अंचलाधिकारी, अररिया एवं हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी के नाम मात्र 03½ डी0 भूमि का नामांतरण ही हुआ है। शेष 03½ डी0 भूमि के नामान्तरण का कोई लेखा–जोखा नहीं है और 03½ डी0 भूमि का अवैध रूप से दर्ज की गई जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि विपक्षीगणों द्वारा भूधारी श्यामसुन्दर प्रसाद से 03½ डी0 + 03½ डी0 कुल 7 डी0 भूमि श्यामसुन्दर प्रसाद की दर्ज जमाबंदी सं0 6735 से क्रय की गई है। जिसे इन्होंने अपने प्रतिउत्तर में भी स्वीकार किया है। जबकि आवेदक द्वारा जमाबंदी सं0 6735 से संबंधित पंजी–II की प्रति सूचना अधिकार के तहत प्राप्त की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी सं0 6735 श्री नरसिंह पाण्डेय के नाम से रकवा 5 डी0 का ही मात्र दर्ज है। मूल जमाबंदी 8241 है, जिसमें Overwriting कर 10 डी0 की गई तथा 6735 से 3 डी0 भूमि घटाई गई है। विपक्षी मो0 तबारक एवं अन्य के द्वारा क्रय की गई 10 डी0 भूमि पर दखल कब्जा का दावा किया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा खुद ही नगर पालिका अमीन द्वारा भूमि की नापी कराई गई और मापी प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि पहला दो केवाला का एक ही चौहद्दी है तथा आवेदक के दखल में मात्र 6 डी0 400 वर्गकड़ी भूमि ही है। अतः विपक्षी के अतिरिक्त 03½ डी0 भूमि का अवैध रूप से दर्ज की गई जमाबंदी को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षीगणों द्वारा विक्रेता श्यामसुन्दर प्रसाद से 7 डी0 भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज से दिनांक 22.7.1992 को प्राप्त किया गया तथा एक दस्तावेज सं0 3595, दिनांक 7.5.1992 से 3 डी0 भूमि विक्रेता नरसिंह पाण्डेय से क्रय की गई। इस प्रकार उनके द्वारा तीनों केवाला से कुल 10 डी0 भूमि क्रय की गई। तीनों केवाला का दाखिल–खारिज हेतु अंचल

कार्यालय में दाखिल किया। जिसमें से मात्र 06½ डी0 भूमि का रसीद कर्मचारी द्वारा निर्गत किया गया। जिसपर उनके द्वारा आपत्ति की गई तो कर्मचारी द्वारा 10 डी0 भूमि का रसीद काट कर उन्हें दे दी गई। इस वाद में अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह नहीं दर्शाया है कि श्यामसुन्दर की जमाबंदी में जमीन शेष नहीं है। जबकि उनके नाम पर 13½ डी0 भूमि की जमाबंदी चल रही थी। प्रथम पक्ष ने कुल कितनी भूमि क्रय की है खाता 2438, खेसरा 9790 में उसका कोई ब्यौरा उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के केवाला की वैद्यता पर कोई चुनौती नहीं दी गई है।

विपक्षीगण का यह भी कहना है कि विपक्षी के क्रेता श्यामसुन्दर प्रसाद को विक्रेता गोपीनाथ पाण्डेय से बजरिये निबंधित दस्तावेज से वादग्रस्त खाता खेसरा से कुल रकवा 13 डी0 भूमि प्राप्त है, जिसका विक्रेता के नाम से दर्ज जमाबंदी सं0 4090 दर्ज है। जिससे विपक्षीगणों को रकवा 7 डी0 भूमि प्राप्त है। अंचलाधिकारी से भूल हुई है, जो जमाबंदी रद्दीकरण का आधार नहीं हो सकता है। अतएव इस वाद को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी मो0 तबारक एवं अन्य के द्वारा तीन केवाला द्वारा प्राप्त कर दाखिल खारिज वाद सं0 386/1996–97 द्वारा दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी सं0 8241 दर्ज कराया गया। प्रथम दो केवाला 5760 एवं 5761, दिनांक 22.7.1992 द्वारा विक्रेता श्यामसुन्दर प्रसाद से 03½ डी0 + 03½ डी0, कुल 7 डी0 भूमि प्राप्त है। विक्रेता श्याम सुन्दर प्रसाद को भूधारी गोपीनाथ पाण्डेय से भूमि प्राप्त है, जिसका जमाबंदी सं0 4090 दर्ज है। तीसरा केवाला सं0 3595, दिनांक 7.5.1992 विपक्षी को विक्रेता नरसिंह पाण्डेय से रकवा 3 डी0 भूमि प्राप्त है। इस प्रकार विपक्षीगणों को तीनों केवाला से कुल रकवा 10 डी0 भूमि प्राप्त है। आवेदक द्वारा सूचना अधिकार के तहत प्राप्त पंजी–II जमाबंदी सं0 8241, 4090 एवं 6735 सत्यापित प्रति से स्पष्ट है कि विपक्षी के दर्ज जमाबंदी सं0 8241 में Overwriting कर 10 डी0 भूमि दर्ज की गई है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दाखिल खारिज वाद सं0 386/1996–97 के द्वारा रकवा 3½ डी0 एवं 3 डी0 जमीन जमाबंदी सं0 4090 से एवं जमाबंदी सं0 6735 से खारिज कर दर्ज की गई है। बाकी शेष रकवा 3½ डी0 को अवैध रूप से जोड़कर जमाबंदी संधारित किया गया है। जिसका खारिज किस जमाबंदी से की गई है, यह स्पष्ट नहीं है तथा वाद सं0 भी दर्ज नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि रकवा 3½ डी0 भूमि का जमाबंदी विपक्षी के नाम अवैध रूप से दर्ज की गई है। जिसको रद्द करने की अनुशंसा अंचल अधिकारी, अररिया द्वारा भी की गई है।

अतएव विवेचना एवं अंचलाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में विपक्षीगणों के नाम दर्ज जमाबंदी सं0 8241 में अवैध रूप से दर्ज की गई रकवा 03½ डी0 भूमि की

जमाबंदी को अवैध पाते हुए रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, अररिया को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 84 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 24 / 06 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 03/2016–17 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24.6.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24.6.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 19/2005–06	

मो0 हारूण, पिता–स्व0 मुस्लिम, ग्राम–खैरा गड़िया, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

अब्दुल करीम, पिता–मो0 हुसैन उर्फ मो0 जान, ग्राम–खैरा गड़िया, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आवेदक मो0 हारूण, पिता–स्व0 मुस्लिम, ग्राम–खैरा गड़िया, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 09/2003–04 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 7.4.2005 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 12.7.2005 को दाखिल किया गया है। समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 20.3.2007 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया और इसे विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 11.8.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1197/वि0, दिनांक 25.8.2015 के द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
खैरा	216	103	2761 2769	0.12 ए0 0.06 ए0 **कुल 0.18 ए0**

समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विपक्षीगणों को निर्गत सूचनोपरांत विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल कर दिया गया है। अभिलेख इस न्यायालय में हस्तांतरण उपरांत सुनवाई हेतु नियत की गई। पुनरीक्षणकर्त्ता को बार–बार सुनवाई का मौका दिया गया, किन्तु दिनांक 31.5.2017 को उन्हें सुनवाई हेतु अंतिम मौका दिये जाने के बावजूद भी सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। ततपश्चात् विपक्षी की एक पक्षीय सुनवाई की गई। ततपश्चात् अभिलेख को आदेशार्थ दिनांक 20.6.2017 के लिये निर्धारित की गई।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि के खतियानी

रैयत उमर अली की भी उनके तीन पुत्र मो0 शरीफ, मो0 कासिम एवं महीउद्दीन उर्फ महरंगी थे, जिसे छोड़कर वे मृत हुए। कालान्तर में महीउद्दीन भी अपने पीछे दो पुत्रों म0 सिद्दीक एवं म0 सहीद को छोड़कर मृत हुये। जिससे विपक्षी अब्दुल करीम द्वारा बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 9980, दिनांक 12.12.2002 द्वारा क्रय कर दखलकार हुए तथा नामान्तरण कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें हैं। साथ हीं प्रश्नगत भूमि का उन्हें अंचल कार्यालय, नरपतगंज से एल0पी0सी0 भी निर्गत है।

प्रथम पक्ष पुनरीक्षणकर्त्ता का दावा है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता म0 मुस्लीम द्वारा खतियानी रैयत उमर अली से बजरिये निबंधित केवाला सं0 4648, दिनांक 18.8.1961 द्वारा क्रय कर दखलकार हुए। पुनः मो0 मुस्लिम द्वारा प्रश्नगत भूमि अपनी पत्नी बीबी फेकन को बजरिये निबंधित केवाला सं0 2221, दिनांक 4.6.1966 द्वारा बिक्री कर दी गई। जिससे पुनरीक्षणकर्त्ता जो बीबी फेकनके पुत्र है, को बजरिये दानपत्र द्वारा दिनांक 7.11.1987 को प्राप्त हुआ। जिसका दाखिल–खारिज अंचलाधिकारी, नरपतगंज के नामान्तरण वाद सं0 939/1990–91 द्वारा दाखिल खारिज होकर लगान रसीद कटाते आ रहे हैं।

इनका यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी, नरपतगंज के नामान्तरण वाद सं0 939/1990–91 के विरूद्ध विपक्षी अब्दुल करीम द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 09/2003–04 दाखिल किया। वहाँ भी पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा अपनी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। ततपश्चात् विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने अंचलाधिकारी के नामान्तरण वाद सं0 939/1990–91 के पारित आदेश को विखंडित कर वाद को पुनः अंचलाधिकारी, नरपतगंज को Remand (वापस) कर दिया गया। जहाँ विज्ञ अंचलाधिकारी, नरपतगंज ने स्थल जाँच कर विपक्षी अब्दुल करीम के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया। ततपश्चात् विपक्षी को लगान रसीद निर्गत किया गया। जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा अपील दायर नहीं किया गया। किन्तु नामान्तरण अपील वाद सं0 09/2003–04 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 7.4.2005 के विरूद्ध इस पुनरीक्षण वाद को लाया गया है, जो विधि सम्मत एवं निर्वाहन योग्य नहीं है। जिसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के वारिशानों से विपक्षी को निबंधित डीड सं0 9980, दिनांक 12.12.2002 द्वारा क्रय किया गया है। जबकि पुनरीक्षणकर्त्ता अपील अर्जी के अनुसार दावा है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत से उनके पिता मो0 मुस्लीम को बजरिये निबंधित डीड सं0 4648, दिनांक 18.8.1961 द्वारा प्राप्त है। पुनः मो0 मुस्लीम द्वारा प्रश्नगत भूमि अपनी पत्नी बीबी फेकन को निबंधित डीड सं0 2221, दिनांक 4.6.1966 द्वारा बिक्री कर दी गई। पुनः बीबी फेकन द्वारा

24.6.17

प्रश्नगत भूमि अपने पुत्र पुनरीक्षणकर्त्ता मो0 हारूण को दान पत्र कर दी गई। जिसका दाखिल–खारिज नामान्तरण वाद सं0 939/1990–91 द्वारा उनके पक्ष में हुआ। जिसके विरूद्ध विपक्षी मो0 अब्दुल करीम द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 09/2003–04 दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने अपने आदेश दिनांक 7.4.2005 द्वारा अंचलाधिकारी, नरपतगंज के पारित आदेश को विखंडित करते हुए पुनः उभय पक्षों की सुनवाई कर, कागजातों की छानबीन कर तथा दखल–कब्जा की जाँच कर विधिवत आदेश पारित करने हेतु अंचलाधिकारी को वापस (रिमांड) कर दिया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में भी पुनरीक्षणकर्त्ता अनुपस्थित रहे और अपना कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और इस न्यायालय द्वारा भी पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा अपना कोई पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 7.4.2005 (रिमांड) के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद को लाया गया है, जो निर्वाहन योग्य नहीं है। अतएव पुनरीक्षणकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज/अंचल अधिकारी, नरपतगंज को आवश्यक कार्यार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०/- अपर समाहर्त्ता अररिया

ह०/- अपर समाहर्त्ता अररिया

ज्ञापांक 85 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 24/06/2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को नामान्तरण अपील वाद सं0 09/2003–04 (अब्दुल करीम बनाम मो0 हारूण) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, नरपतगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.6.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया